85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/1651 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18–04–2017 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 28/अ–6/2013–14

....

1–संजीव माहेश्वरी पुत्र श्री प्रफुल्ल माहेश्वरी
निवासी ई–3/22 अरेरा कॉलोनी
भोपाल म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1–अमर सिंह पुत्र श्री पन्नालाल
निवासी ग्राम होलीपुरा तहसील बुदनी
जिला सीहोर म0प्र0

–––अनावेदक

....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री वाय0 पी0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर म0 प्र0 द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18–04–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम पांडडो की भूमि खसरा कमांक 44/05 रकबा 20 एकड़ में से 3 एकड़ भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पांडडो स्थिति भूमि का वह भूमिस्वामी है। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति व संस्था को उक्त भूमि के विक्रय का अधिकार नहीं दिया है। नामांतरण हेतु प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.8.14 अधिकार विहीन व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है। ऐसे अधिकार विहीन दस्तावेज के आधार पर नामांतरण अनावेदक को नहीं किया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.4.17 को आवेदक के साक्ष्य के लिये प्रकरण नियत किया गया था लेकिन आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन निरस्त किया गया है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनंस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.4.17 का आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक के साक्ष्य के लिय नियत दिनांक को साक्षी श्री नितिन भेंडवे को साक्ष्य के लिये न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य की अनुमति नहीं देने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार बुधनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.14 के पालन कराये जाने की मांग की थी तथा उक्त साक्षी को अनावेदक/निगरानीकर्ता के साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने के निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित आधारों पर निरस्त किया गया है इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिरिम आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा ग्राम पांडडो तहसील बुदनी में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.8.14 को आवेदक से भूमि कय की थी जिसका खसरा नंबर

44/5 रकबा 20.00 एकड में से भूमि 3.00 एकड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र में वर्णित चतुर्थ सीमा अनुसार क्रय की है। आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में नामांतरण पर आपत्ति प्रस्तुत की है जो विधि प्रावधानों से उचित नहीं होने से निरस्त की तथा साक्ष्य के लिये अवसर प्रदान किये गये लेकिन वह टालमटोल करते रहे और प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से आवेदन प्रस्तुत करते रहे। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये गये लेकिन वह साक्ष्य प्रस्तुत करने की वजाय प्रकरण को लंबित रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते रहे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे थे, जबकि आवेदक चाहते तो उनको दिये गये अवसरो में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे। न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश 18.4.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश 18.4.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर